(प्रस्तु... (भाग-१)

...प्रार्थी द्वारा रक्खा जाने वाले)

...ा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत ... क्रम संख्या 53

...र्ता या प्रार्थी का नाम ... का दिनांक 26.5.14

... प्रकार ...

... की धनराशि ...

...ष्ट्रीकरण शुल्क ... 11.00

...लिपिकरण शुल्क ...

...क्षण या तलाश शुल्क ... 110

...यतारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिये शुल्क ... 20

...ीशन शुल्क ...

...ध ...

...मक भत्ता ...

...क का योग ... 130

...ूल करने का दिनांक ...

...ब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश ... 26.5.14

...त्र वापिस करने के लिये तैयार होगा।

...ण अधिकारी के हस्ताक्षर ...

IV

1501/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (1) U 425268

SADAR TEHSIL AGRA

!! हरि ओउम् !!

<u>राजकमल एजूकेशनल ट्रस्ट</u>

<u>ट्रस्ट-डीड</u>

इस ट्रस्ट का अनुबन्ध पत्र दिनांक 26/05/2014 ई0 को श्री राजकुमार चाहर पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी-37ए/120 W हवेली मधु नगर तहसील व जिला आगरा के द्वारा निष्पादित किया गया है। मेरा परिवार धर्मपरायण, समाज सेवा भाव से ओतप्रोत रहा है। मेरी इच्छा है कि परिवार की इस परम्परा को आगे बढ़ा सकूँ समाज सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा द्वारा समाज में उत्थान का कार्य करना, उसमें जागृति लाना, हर नागरिक का कर्तव्य है। समाज सेवा की भावना से ट्रस्ट का निर्माण कर मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, ऐसा मुझे समझना है। इस निमित्त मैं अपने पास से 11,000/-रूपये देकर न्यास (ट्रस्ट) का निर्माण (स्थापना) करता हूँ ।

५०७५
२६-५-१४

स्टाम्प विक्रय की तिथि......
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...... इकरार
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...... राजकुमार चाहर S/O राजवीर सिंह नि. इरादत नगर मधुनगर आगरा
स्टाम्प की धनराशि...... 500/-

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.-737
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

निवासी-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) AX 193415

इस पुनीत कार्य में निम्न बंधुओं ने :

नाम व पता	पद
1. श्री राजकुमार चाहर पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी- 37ए/120W, हवेली मधु नगर तहसील व जिला आगरा	प्रबन्धक/सचिव(मुख्य ट्रस्टी)
2. श्रीमती रजनी चाहर पुत्री स्व0 श्री चरन सिंह निवासी-ग्राम- कौरेर तहसील डीग भरतपुर,राजस्थान	अध्यक्ष (ट्रस्टी)
3.युवराज सिंह पुत्र श्री राजकुमार चाहर निवासी- 37ए/120W, हवेली मधु नगर तहसील व जिला आगरा	कोषाध्यक्ष (ट्रस्टी)
4.शुभ राज चाहर पुत्र श्री राजकुमार चाहर निवासी- 37ए/120W, हवेली मधु नगर तहसील व जिला आगरा	(ट्रस्टी)

2075
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..........................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......................... 35 ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......................... राजकुमार चाहर — 2074
....
स्टाम्प की धनराशि.............. 50/-

अरुण कौशल
लाइसेंस नं.- 137
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
11,000.00	110.00	20	130.00	800

श्री राजकुमार चाहर
पुत्र श्री राजवीर सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी अस्थायी पता मधु नगर आगरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/5/2014 समय 1:27PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ0 इसराइल खां प्र0
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
26/5/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री राजकुमार चाहर
पुत्र श्री राजवीर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी मधु नगर आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री कमल कुमार
पुत्र श्री प्रताप सिंह
पेशा व्यापार
निवासी नामनेर आगरा

व श्री नागेन्द्र सिंह
पुत्र श्री करतार सिंह
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी पथौली आगरा

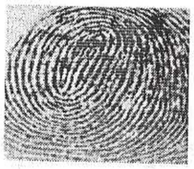

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ0 इसराइल खां प्र0
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
26/5/2014

Kamal

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

(3)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853844

उक्त व्यक्तियों ने इस न्यास का प्रन्यासी (ट्रस्टी) बनना स्वीकार कर लिया है, अतः इस अनुबन्ध पत्र के माध्यम से एजूकेशनल ट्रस्ट की घोषणा करता हूँ ।

न्यास (ट्रस्ट) की शर्तें तथा नियम (टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स):

1.	न्यास का नाम	-	राजकमल एजूकेशनल ट्रस्ट
2.	पता	-	37ए/17W, ऑफिस मधु नगर तहसील व जिला आगरा 282001
3.	कार्यक्षेत्र	-	सम्पूर्ण भारतवर्ष
4.	न्यास का कोष	-	11,000/-रूपया

उपरोक्त आकांक्षा की पूर्ति निमित्त तथा न्यास के धर्मार्थ/सार्वजनिक उद्देश्यों जो नीचे उदधृत किये जा रहे है की पूर्ति हेतु न्यास का कार्य संचालन के निमित्त व निर्माणकर्ता/मुर्ख्य ट्रस्टी ने 11,000/-रूपये की धनराशि दी है व न्यास की सम्पत्ति/कोष समझी जावेगी । इस सम्पत्ति को किसी भी दशा में वापिस नहीं लिया जा सकेगा ।

2076
26-8-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..............................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.............................. इकरार नामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.............................. राजकुमार चाहर — 2014
....
स्टाम्प की धनराशि..........10/-.......

अरुण कौशल
लाइसेंस नं.-37
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा
न्यासी

Registration No.: 158 Year : 2,014 Book No. : 4

0101 राजकुमार चाहर

राजवीर सिंह

मधु नगर आगरा

व्यापार

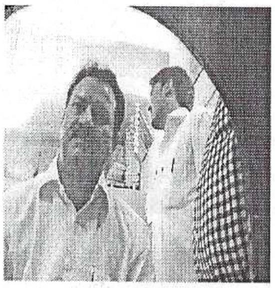

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853843

न्यास के उद्देश्यः-

1. न्यास के उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों की स्थापना करना व विधिवत् संचालन कर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।
2. न्यास क्षेत्र के शैक्षिक व बौद्धिक विकास हेतु सम्पूर्ण देश के अन्तर्गत नर्सरी से इण्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.टी.सी., एल.टी.सी., सी.टी.सी., बी.एड., एम. एड.,एल.एल.बी. बाल श्रमिक विद्यालय व कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र खोलना तथा कोचिंग की उचित व्यवस्था करना । शिक्षा विभाग के अनुमोदन पर पाठ्यक्रम के अनुरूप यू.पी. बोर्ड, आई.सी.एस.सी., आई.एस.सी., बोर्ड स्तर के विद्यालय/महाविद्यालय एवं नई दिल्ली, सी.बी.एस.सी. से मान्यता प्राप्त कर पठन-पाठन की सम्पूर्ण व्यवस्था करना, इनके संचालन के आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना व उन पर नियंत्रण बनाये रखना ।
3. न्यास का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बी.टेक., बी.बी.ए., एम.बी.ए., बी.सी.ए., एम.सी.ए., प्रबन्धन, महाविद्यालय, तकनीकि महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फार्मेसी कॉलेज, आर्टीटेक्चर, टाउन प्लानिंग , होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी, एप्लाइड आर्ट एण्ड ग्राफ, मेडिकल तथा डेन्टल महाविद्यालय एवं आई हॉस्पीटल एवं पॉलिटेक्निकल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आदि की स्थापना करना ।

2077
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.. [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.. [illegible] — 2014
....
स्टाम्प की धनराशि........10/..........

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.-757
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

(5)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना और इसके लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
5. पत्रकारिता एवं जनसंचार के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना
6. गैरपरम्परागत उर्जा उत्पादित कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान।
7. जनहित के लिए ब्लड बैक और स्टेम सैल बैंक स्थापित करना और उन पर शोध के कार्य करना और करना और कराना।
8. पशु क्रुरता विरोधी अभियान चलाना एवं गौ सेवा हेतु गौशाला आदि का निर्माण कराना।
9. धर्म अध्यात्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न होना। आश्रम, धर्मशालाए,घाट और अतिथिगृहों का निर्माण,मंदिर-मठों की स्थापना करना। सत्संग और प्रवचनों का आयोजन करना।
10. न्यास का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग, बच्चों को शिक्षा देना व उनको छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधाओं हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा केन्द्र, व्यायामशाला, तरणताल, बुक बैंक आदि की व्यवस्था करना
11. न्यास का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें तकनीकि, व्यवसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र के विकास में सहयोग करना ।

2078
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि....................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन....................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.................... 2014

स्टाम्प की धनराशि........ 10/

अरुण कौशल

लाइसेंस नं.-

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853841

12. न्यास के उद्‌देश्य के कार्यक्षेत्र एवं राज्य सरकार/समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय द्वाया चलायी जा रही योजना को क्रियान्वित करना एवं संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना ।

13. न्यास का उद्‌देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, जनजागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ़ कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, मद्य निषेध कार्यक्रम चलाना ।

14. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम, बोर्ड संबंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक-युवतियों के कल्याण एवं उन्हें आत्म निर्भर, स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपूरक प्रशिक्षण जैसे-सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेन्टिंग कला का प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इण्टरनेट) इलेक्ट्रानिक्स, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल डिजायनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना

15. जन कल्याण के कार्य जैसे आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़ आदि के समय जन-जन तक सरकारी सहायता व निजी सहायता पहुँचाना ।

२०७९
२६-५-१४

स्टाम्प विक्रय की तिथि............................. २६-५-१४
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..................... रेन्ट डीड
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.................. राजकुमार चाहर — २०७५
....
स्टाम्प की धनराशि......... 10/-..........

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.- 37
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

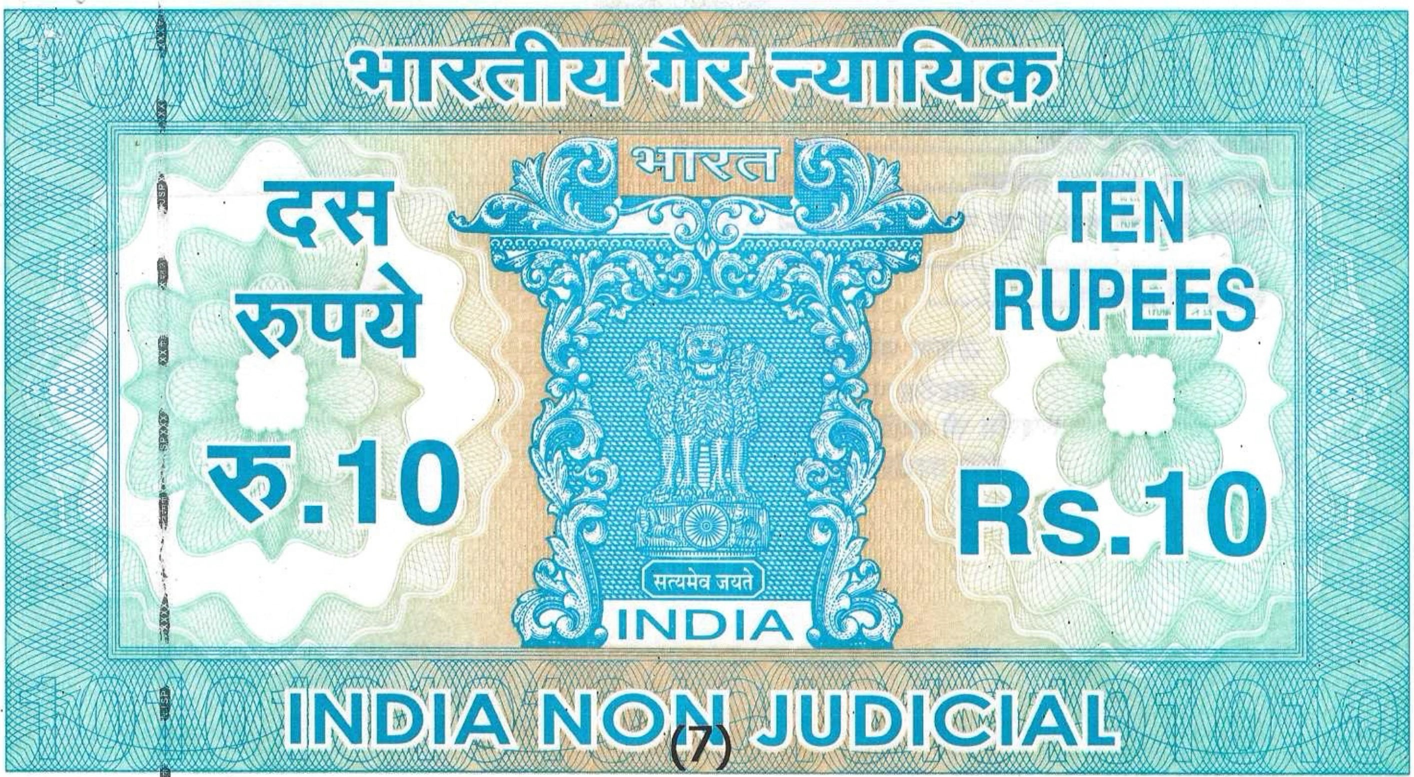

(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AC 853840

16. कामकाजी महिलाओं , वृद्धों की सेवा निमित्त एवं असहाय व्यक्तियों के लिए वृद्ध आश्रम की स्थापना तथा संचालन करना, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य मनोरंजन की व्यवस्था करना, ओल्ड ऐज होम, वर्क हाउस तथा घरेलू ग्रामोद्योग की स्थापना कर उन्हें आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भर करने हेतु अप्रवासीय भारतीयों के दिशा-निर्देश के अनुसार उनके सहयोग से उनको कल्याण अथवा आत्मनिर्भर हेतु कार्य करना ।

17. मनोरंजन के लिए ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में मनोरंजन पार्क एवं साइबर कैफे आदि का प्रबन्ध करना ताकि समाज के असमर्थ एवं निम्न वर्ग के व्यक्ति उनका उपयोग कर सकें

18. बेसहारा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए हॉस्टल का संचालन तथा उन्हें उक्त प्रशिक्षणों द्वारा जीविका दिलाने में मदद करना तथा सचल मोबाइल निःशुल्क अस्पताल, रिप्रोडक्टिक्व चाइल्ड, हेल्थ प्रोग्राम, नशा उन्मूलन आदि का संचालन करना।

19. न्यास विकलांगता सम्बन्धी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेन्टल रिटार्डेशन, टीचर ट्रेनिंग, प्रारम्भिक बाल देख-रेख और शिक्षा प्रोग्राम (आई.सी.सी.ई.), प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, कम्प्यूटर टीचर ट्रेनिंग एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की शिक्षा-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

2080
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि.........
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन......... ट्रस्टडीड
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......... राजकुमार लाहौरा —— 2074
....
स्टाम्प की धनराशि.........10/.........

अरुण कौशल
लाइसेंस नं.- 37
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(8)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853839

20. न्यास के द्वारा उपरोक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय व पत्राचार द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण करायी, साथ ही शिक्षा संस्थानों एवं कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्रों का विकास व उनके विकास हेतु सहयोग लेना व देना तथा स्थानीय पत्राचारों के माध्यम से पाठ्यक्रम को पढ़ाने की व्यवस्था पर शिक्षा सम्बन्ध सभी कार्य कराना ।

21. भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप देश में जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों का चारित्रिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हो सके ।

22. पर्यावरण एवं वन्य जीवन संरक्षण, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों के सहयोग से उनके संस्थान का संचालन करना।

23. प्राचीन चिकित्सा पद्धति, यूनानी एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सामंजस्य करके जनहितकारी चिकित्सा शोध संस्थान एवं हॉस्पीटल आदि की स्थापना करना।

2081
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि.........
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन......... ट्रस्ट डीड
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......... राजकुमार लाहौरे - 2074
....
स्टाम्प की धनराशि......... 10/
अरुण कौशल
लाइसैंस नं.- 37
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

(9)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853838

ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्यः-

ट्रस्ट में जन सामान्य एवं ट्रस्टियों द्वारा किया गया धन व दान आदी कि धनराशी ट्रस्ट के द्वारा खोले गए खाते में किसी राष्ट्रीयकृत /प्राइवेट/कार्पोरेट बैक में जमा की जायेगी। जो जनहीत तथा ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी। भवन के निर्माण कि व्यवस्था के लिये प्रबन्धक द्वारा बैक,प्राइवेट कम्पनी फाइनेंस आदि से ट्रस्ट हित में व्याज पर धन का इंतजाम करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित विधालय, महाविधालय,धर्मशाला,मंदिर,आदि के खाते बैक में खोलकर धनराशी मे लिये लेन-देन करने(बैंक खाता अपरेट) के लिये प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होगें। अपनी अन्य संस्थाओं में बैक खाता अपरेट की अनुमति प्रस्ताव पारित कर ट्रस्टी सदस्य को दी जा सकती है।

2084
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि....................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन....................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता....................
....
स्टाम्प की धनराशि........10/

अरुण कौशल
लाइसेंस नं.-137
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

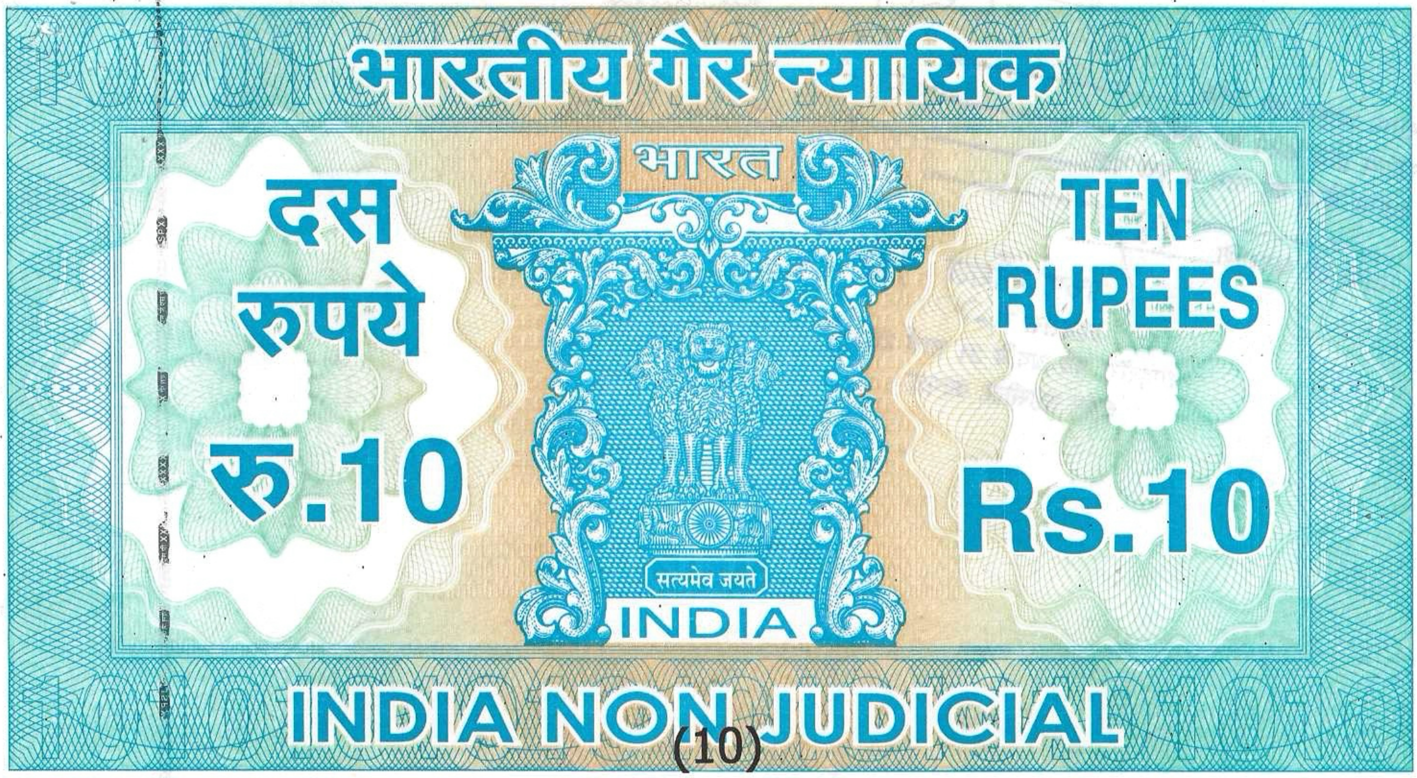

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AC 653837

ट्रस्टियों की नियुक्तिः-	मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रबन्धक पद को छोड़कर शेष ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रति तीन वर्ष के लिये की जायेगी। ट्रस्ट में प्रबन्धक का पद मुख्य ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा । इनकी मृत्यु के वाद उनका वंशज ही ट्रस्ट का प्रबन्धक होगा। मुख्य ट्रस्टी का अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी प्रबन्धक को मनोनीत करने का अधिकार रहेगा और उक्त मनोनयन के आधार पर मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु उपरान्त यह मनोनीत व्यक्ति प्रबन्धक बन सकेगा । ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होगे।
ट्रस्ट की सदस्यताः-	यदि कोई सदस्य इस ट्रस्ट को भविस्य में 10,000/-रू0 दस हजार/-रू0 या इससे अधिक अथवा या इससे अधिक मूल्य कि कोई चल अचल सम्पत्ति ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु प्रदान करेगा वह इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य मुख्य ट्रस्टी द्वारा बनाया जायेगा ।

2083
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......... 26/5/015

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... राजकुमार चाहर 20745

....

स्टाम्प की धनराशि.......... 10/-

अरुण कौशल

लाइसेंस नं.-37

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(11)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853836

संचालित संस्थानो की प्रबन्ध समिति में नामित सदस्यः-

ट्रस्ट द्वारा संचालित विधालय व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है की प्रबन्धसमिति में मुख्य ट्रस्टी को प्रबन्धक पद के लिये भेजा जायेगा ट्रस्ट का प्रबन्धक ही ऐसी संस्थानों का प्रबन्धक होगा,अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिये मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यों में से भेज सकेगा ऐसे पदाधिकारी एवं सदस्य पद हेतु भेजे जाने वाले ट्रस्टी सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 15 होगी। विशिष्ट सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किये जा सकेगे। ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 03 होगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुल्क रहेगे । ऐसे सदस्यों को मत देने का अधिकार न होगा। ट्रस्ट के सृजनकता श्री राजकुमारचाहर है। श्री राजकुमार चाहर इस ट्रस्ट प्रबन्ध समिति व सहयोगी संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के आजीवन प्रबन्धक/ सचिव रहगे। शेष पदाधिकारियों व सदस्यों को मुख्य ट्रस्टी द्वारा आगामी तीन वर्ष के लिये नामित किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को पुनःभी अगामी बर्षों के कार्यकाल के लिये नामित किया जा सकेगा।

2084

स्टाम्प विक्रय की तिथि........ 26-5-14

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........ रेन्टडीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........ राजकुमार चाहर — 2074

....

स्टाम्प की धनराशि........ 10/

अरुण कौशल

लाइसेंस नं.- 37

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(12)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AC 853835

ट्रस्ट मण्डल (प्रमुख):- ट्रस्ट के प्रबन्धक श्री राजकुमार चाहर है वो ही इस पद पर जीवन पर्यन्त रहेगे, अगामी प्रबन्धक की नियुक्ति प्रबन्धक ही करेगा तथा इनकी मृत्यु के बाद उनका वशज ही ट्रस्ट का प्रबन्धक होगा। जैसे कि उपर उल्लखित है ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य रहेगे।

ट्रस्टियों की संख्याः-वर्तमान में ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर चार है जिसमें उनका नाम पद व पता उपर उल्लखित है

2085
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........ ट्रस्ट डीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........ राजकुमार चाहर - 2014

....

स्टाम्प की धनराशि........ 10/

अरुण कौशल

लाइसैंस नं.- 37

लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये रु.10
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
TEN RUPEES Rs.10
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
30AC 853834

ट्रस्टियों मण्डल के पदाधिकारियो के अधिकार व कर्तव्यः-

प्रबन्धक/सचिव / मुख्य ट्रस्टीः-

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना,मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुचाना,मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार करना।
3. कार्यो की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब किताब आदि की आडीटर या चार्टड एकाउन्टेन्ट से जॉच करना ।
4. सभा के सभी प्रस्ताव एवं निर्णय ट्रस्ट मण्डल के प्रबन्धक की स्वीकृति के अधीन रहेगे।
5. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसें भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने मे निहित कर दो माह में नयी कार्यकारणी समिति का विधिवत गठन करना
6. ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्तिकी सुरक्षा कराना,दान, अनुदान,चन्दा आदि से प्राप्त करना
7. ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय समय पर निरीक्षण कराना।
8. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित शिक्षा संस्थानों/ कॉलेजो/मन्दिरों/ धर्मशाला व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति,निष्कासन,पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना

2086
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि......................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...................... ट्रस्ट डीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...................... राजकुमार यादव — 2014

....

स्टाम्प की धनराशि........10/........

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.-137
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(14)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853833

9. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी आदि विधि सलाहकार के सहयोग से कराना व करवाना। प्रबन्धक की असमर्थता पर प्रबन्धक की लिखित अनुमति पर ही ट्रस्ट के हित में न्यायालय में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर सकेगा

10. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ,ऋृण अनुदान पत्रों,चैको,डाफटों बन्धक विलेखों बिल- बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

11. प्रबन्धक किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना सदस्यता शुल्क अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी समिति/ साधारण सभा/ट्रस्ट का सदस्य बन सकेगे।

12. आकस्मिक व्यय हेतु आवश्यकतानुसार रूपया अपने पास रखना व व्यय करना।

13. संस्था के आजीवन सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व संस्था विरोधी कार्य कराने पर उसे छःवर्ष तक की अवधि के लिये सभा से निलम्बित कर सकता है।

14. संस्था विरोधी कार्य एवं अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना चाहे वह कार्यकरीणी समिति या साधारण सभा का सदस्य हो किन्तु इसका अनुमोदन कार्यकारीणी समिति 1/3 बहुमत से कराना आवश्यक होगा।

2087
26-8-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि........................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........................ कन्ट्रैक्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........................ राजकुमार चाहर — 2074 —
....
स्टाम्प की धनराशि.......10/.......

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.-37
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(15)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AC 653832

15. ट्रस्ट के धन को बैक आदि में लगाने का अधिकार प्रबन्धक के पास होगा।

16. ट्रस्ट एवं Beneficiaries के हित में कोई भी नीतिगत निर्णय लेना प्रबन्धक/ मुख्य ट्रस्टी के अधिकार में रहेगा।

<u>अध्यक्ष</u>:-ट्रस्टी मण्डल के बहुमत से किसी भी व्यक्ति की जो ट्रस्ट के कार्य में रूचि ले सके एवं ट्रस्ट के नियमों एवं उदेश्यों में पूर्णतःआस्था एवं विश्वास रखता हो ट्रस्ट के समारोह में अध्यक्षता करने हेतु अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

1. सभाओंकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्टी मण्डल की सभा में किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देगा
3. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवाश्यक कार्य करना जो संस्था के उददेश्यों की पूर्ति एवं विकास में सहायक हो।

2088
26-8-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... [illegible] — 2014

....

स्टाम्प की धनराशि.......10/-

अरुण कौशल

लाइसेंस नं.-37

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(16)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853831

कोषाध्यक्षः–

1. ट्रस्ट मण्डल अपने मध्य एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे या कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह ट्रस्ट के हिसाब किताब को उचित ढंग से रखे, हिसाब- किताब से संबंधित सम्पूर्ण आलेखों तथा प्रतिवर्ष ट्रस्ट मण्डल द्वारा नियुक्त लेखाकार (सी0ए0) से ऑडिट कराकर ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. ट्रस्ट का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/महासचिव/कोषाध्यक्ष/ट्रस्टी में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।
3. ट्रस्ट का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समात्ति पर किसी योग्य ऑडिटर व चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट साधारण सभा में बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

2089

स्टाम्प विक्रय की तिथि...... 26-5-14

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...... [illegible] 2074

स्टाम्प की धनराशि...... 10

अरुण कौशल

लाइसैंस नं.-37

लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(17)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853830

सहायक उद्देश्यः

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. ट्रस्ट के लिए दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त करके उसको पूँजी के रूप में प्रयोग करना अथवा ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यय करना ।
2. ट्रस्ट की सम्पत्ति को किराये, लीज पर देना, चल-अचल दर्शनीय सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के विकास व उनसे प्राप्त लाभों की व्यवस्था का अधिकार रखना।
3. ट्रस्ट के कोष को प्रन्यासी मण्डल के निर्देशानुसार समय-समय पर प्रयोग करना, उसको निकालना, दूसरे ट्रस्ट /संस्थान पर विनियोग करना, विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना, सहयोग देना व लेना
4. किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना ।

संस्थान/ट्रस्ट का प्रबन्ध एवं संचालनः-

1. ट्रस्ट का प्रन्यासी मण्डल ट्रस्ट के कोष तथा ट्रस्ट के कार्यों के संचालन के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा प्रन्यासी मण्डल का बहुमत से किया गया निर्णय समस्त प्रन्यासीगणों के कार्यों तथा संचालन एवं प्रबन्ध के लिए नियम, उपनियमों का निर्माण कर सकेगा, उनमें परिवर्तन एवं संवर्धन कर सकेगा ।

२०९०
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..........................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......................... इकरारनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......................... राजकुमार चाहर —— 2014

....

स्टाम्प की धनराशि.......... 10/

अरुण कौशल

लाइसेंस नं.-37

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

(18)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853829

2. न्यास के प्रन्यासी मण्डल प्रन्यासीगण न्यास द्वारा चलाये जा रहे किसी संस्थान के हितों को दृष्टिगत रखकर उन्हीं लोगों को बहुमत से प्रन्यासी मनोनीत कर सकेंगे । ऐसे मनोनीत प्रन्यासी अन्य प्रन्यासियों के समान प्रन्यासी मण्डल के सदस्यों की कुल संख्या-5 से अधिक नहीं होगी। प्रन्यासी मण्डल में कोई स्थान रिक्त होने की दशा में प्रन्यासीगण बहुमत से इस स्थान की पूर्ति कर सकेंगे ।

3. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो सम्पत्ति क्रय करेगी उसकी तन्हा मालिक होगी व उक्त सम्पत्ति को ट्रस्ट संचालित इकाई को हस्तांरित करने की अधिकारिता रखेगा।

4. ट्रस्ट संचालित इकाई में कुप्रबन्धन होने पर उसे भंग कर सकेग तथा नवीन प्रबन्ध समिति का पुर्नगठन कर सकेगा ।

2091
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........ ट्रस्ट डीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........ राजकुमार चौधरी — 2014

....

स्टाम्प की धनराशि........101/-

अरुण कौशल
लाइसेंस नं.--37
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

(19)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853828

कुछ अन्य नियमः-

1. न्यास द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव/ द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृति व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

2. न्यास द्वारा तथा उसके विरूद्ध समस्त न्यायिक कार्य संस्थापक द्वारा संचालित होगें, संस्था की सम्पत्ति क्रय-विक्रय तथा किसी भी प्रमाण पत्र पर एवं संस्था पत्र पर संस्था की ओर से प्रबन्धक/सचिव अथवा उनके द्वारा मनोनीति प्रन्यासी के हस्ताक्षर होंगे

3. ट्रस्ट की संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी मण्डल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरादायी नहीं होगा जब तक कि यह सिद्ध न हो कि उसने निहित स्वार्थवश जानबूझकर ट्रस्ट की संस्था को हानि पहुँचाई हो ।

4. न्यास में रिक्त पद होने पर नये न्यासी का निर्वाचन समस्त प्रन्यासियों की बैठक में 2/3 बहुमत के निर्वाचन से किया जायेगा तथा निर्वाचित सदस्य प्रन्यासी मण्डल के परिवार का ही सदस्य होगा ।

5. संस्था के नियमों आदि की परिभाषा के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद में प्रबन्धक/सचिव का निर्णय सभी को मान्य होगा व अन्तिम होगा ।

2092
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि........................ उ.प. लि.
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........................ राजकुमार चाहर — 2014
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........................

....

स्टाम्प की धनराशि.........10/.........

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.-37
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(20)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853827

6. उदेश्यों में किन्ही बदलाव अथवा और अतिरिक्त उदेश्यों की आवश्यकता यदि महसूस हो तो प्रधान न्यासी की अध्यक्षता में न्यास 2/3 बहुमत से ऐसा कर सकेगा। प्रबन्धक/सचिव अगर परिस्थितिवश जरूरी महसूस करे तो लेन -देन और चेक हस्ताक्षर का अधिकार अपने हाथ में ले सकेगा। अथवा किसी अन्य न्यासी को प्रदान कर सकेगा। यदि मुख्य न्यासी का आचरण न्यास के विरूद्ध हो तो उसको पदच्युत करने के लिये अविश्वास प्रस्ताव कोई भी अन्य न्यासी ला सकेगा। परन्तु इसको पूर्ण न्यास की बैठक में लाने के लिए कम से कम दो अनुमोदक न्यासी भी होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही पारित हो सकेगा जिसमें मुख्य न्यासी को मताधिकार नहीं होगा

बैठकः-

1. प्रन्यासी मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रबन्धक/सचिव की उपस्थिति में बैठक करना आवश्यक होगा जिसकी सूचना प्रत्येक प्रन्यासी मण्डल एवं सदस्यों तक पहुँचायी जायेगी ।

2093
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..........
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... राजकुमार चाहर — 2074
....
स्टाम्प की धनराशि.......10/

अरुण कौशल
लाइसेंस नं.-37
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

(21)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853826

सदस्यता समाप्तिः-

1. त्याग पत्र देने पर तथा त्याग पत्र के स्वीकृत होने पर ।
2. प्रन्यासी की मृत्यु होने पर ।
3. प्रन्यासी को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर
4. न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर प्रन्यासी मण्डल द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ।
5. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने के बाद प्रन्यासी मण्डल द्वारा बहुमत से सदस्यता समाप्ति की घोषणा होने पर ।

न्यास भंग होने पर :-

1. प्रन्यासी मण्डल द्वारा 3/4 प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास (ट्रस्ट) को भंग किया जा सकेगा । न्यास के भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल व अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी एक अथवा अनेक समान उद्देश्यों वाली संस्था को प्रदान किया जायेगा अथवा उस न्यास सम्पत्ति का क्रय विक्रय करने का हकदार प्रबन्धक/सचिव के पास होगा ।

2094
26-5-14

स्टाम्प विक्रय की तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......... रजि.डीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... राजकुमार चाहर — 2094

....

स्टाम्प की धनराशि.......... 10/

अरुण कौशल

लाइसैंस नं.-37

लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2015

सदर तहसील, आगरा

(22)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 853825

<u>घोषणा</u>

मैं कि श्री राजकुमार चाहर पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी-37ए/120 W हवेली मधु नगर तहसील व जिला आगरा आज दिनांक 28/02/2014 ई0 को इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर व विलेख निष्पादित करके न्यास/ट्रस्ट की घोषणा करता हूँ। व मसौदा शशि रंजन पाण्डेय दस्तावेज लेखक मोवाइल संख्या 9411045302 सदर तहसील आगरा ने न्यास की घोषणा करता के कथनानुसार मुझ कम्प्यूटरकर्ता विष्णु कुमार से टंकण कराया ।

[signature]

गवाहः- कमल कुमार S/O प्रताप सिंह नामनेर आगरा

गवाहः- ~~शशि रंजन पाण्डेय दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा~~

S. Pandey S. Pandey

गवाह - नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री करतार सिंह
निवासी बमौली आगरा

[signature]

शशि रंजन पाण्डेय
[illegible] - 101
[illegible] लेखक
[illegible] तहसील, आगरा

२०९१
२६-५-१४

स्टाम्प विक्रय की तिथि
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ... २२८७३—
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...
स्टाम्प की धनराशि ... 10
अरुण कौशल
लाइसेंस नं.- 37
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

आज दिनांक **26/05/2014** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **251**

पृष्ठ सं. **283** से **326** पर कमांक **158**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ0 इसराइल खां प्र0

उप निबन्धक तृतीय

सदर आगरा

26/5/2014